

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी
मिसल नं.

...
...

सुमन चौधरी, R.T.S.,
34/2018

सरकार

बनाम

पवन कुमार पुत्र प्रभातीलाल शर्मा, जाति-
ब्राम्हण, निवासी- सिरसला

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 10.08.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल पवन कुमार पुत्र प्रभातीलाल शर्मा, जाति-ब्राम्हण, निवासी-सिरसला द्वारा रोही मौजा सिरसला की राजकीय भूमि ख.नं. 447/255 कुल रकबा 75.91 है 0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है 0 भूमि पर टीन शैड बनाकर व पड़त पर कब्जा कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के मुकदमा सं० 4/5 पर
वर्ष 2018-19 में खपये 5/

राजस्व लेखाकार

(सुमन चौधरी)
तहसीलदार, सूरजगढ़